दिपांशु पिता ओमप्रकारश गुर्जर निवासी भतोला जिला फरीदाबाद हरियाणा

...........प्रार्थी

— बनाम —

श्रीमान भूमिधारी जरिये तहसीलदार बेगूं

...........विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0का0अधि0

प्रा0प0 अ0धा0 136 एलआरएक्ट का वकील श्री आई एम अजमेरी द्वारा पेश किया—

यह कि प्रार्थी की निजी खातेदारी एवं स्वामित्व की भूमि आराजी सं0 13614/01 रकबा 0.2400 है0 मौजा काटुंदा प0ह0 काटुंदा में स्थित है जो प्रार्थी के कब्जे काश्त में होकर अपनी भूमि पर सीमाबंदी कर के उपयोग उपभोग कर रहा है।

यह कि प्रार्थी ने जब भूमि को पंजीकृत विक्रय विलेख से गिरधारी पिता भंवरलाल व रामू बाई पति भंवरलाल गुर्जर निवासी काटुंदा से खरीदी थी तब भी प्रार्थी का भूमि पर कब्जा बेगूं से काटुंदा वाले मुख्य मार्ग के पास ही रोड़ की सीमा के पास ही सुपुर्द किया था और प्रार्थी का कब्जा उक्त स्थान पर है प्रार्थी मुख्य मार्ग की सीमा पर ही काबिज है। प्रार्थी के विक्रेता गिरधारी व रामुबाई का कब्जा मुख्य रोड़ के पास ही है और मूल आवंटी को भी आवंटन के समय कब्जा मुख्य रोड़ बेगूं से काटुंदा की मुख्य सीमा के पास ही दिया था लेकिन आराजी सं0 1361/1 मूल नं0 पड़ा होने के कारण सहवन से राजस्व कर्मचारियों ने मूल आवंटी की तरमीम 1361/1 को मूल आराजी नं0 1361 के पूर्व में कर दिया जबकि भूमि का आवंटन मूल आवंटी को मुख्य मार्ग की सीमा पर ही हुआ है। जहां मूल आवंटी एवं उसके पश्चात के उत्तराधिकारी एवं क्रेता काबीज हुए है सिर्फ लिपिकीय गलती के कारण आराजी सं0 1361/1 के पूर्व में हो गया है। जिसे सुधारा जाकर आराजी सं0 1361/1 को बेगूं से काटुंदा रोड़ की सीमा के पास तरमीम किया जाना अत्यंत आवश्यक है जिससे भविष्य में कोई विवाद न हो।

प्रा0प0 दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन से तलब किया जाने पर विपक्षी पेरोकार तहसीलदार द्वारा जवाब प्रा0प0 पेश किया जाने के पश्चात प्रकरण में उभय पक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन इस प्रकार से किया है कि नकल जमाबंदी संवत 2078 से 2078 में खाता सं0 953 आराजी सं0 1361/1 रकबा 0.2400 है0 भूमि दीपांशु पिता ओमप्रकाश के नाम दर्ज अंकित है जो प्रार्थी द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख से गिरधारी पिता भंवरलाल गुर्जर व रामुबाई पति भंवरलाल गुर्जर निवासी काटुंदा से खरीद की गयी है तब भी भूमि पर कब्जा बेगूं से काटुंदा वाले मार्ग के पास ही रोड़ की सीमा के पास ही सुपुर्द किया था और प्रार्थी का कब्जा भी उक्त स्थान पर ही है जो तहसीलदार बेगूं के जवाब से सिद्ध होता है। विक्रेता गिरधारी व रामुबाई का कब्जा मुख्य रोड़ के पास ही है और मूल आवंटी को भी आवंटन के समय कब्जा मुख्य रोड़ पर बेगूं से काटुंदा की मुख्य सीमा के पास ही दिया था लेकिन आराजी सं0 1361/1 मूल ना पड़ा होने के कारण सहवन से राजस्व कर्मचारियों ने आवंटी की तरमीम 1361/1 को मूल आराजी नं0 1361 के पूर्व में कर दिया जबकि भूमि का आवंटन मूल आवंटी एवं उसके पश्चात के उत्तराधिकारी एवं क्रेता काबिज हुए है। सिर्फ लिपिकीय गलती के कारण आराजी सं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:53:40 IST
Reason: SelfAttested

1361/1 के पूर्व में हो गया है। जिसे आराजी स0 1361/1 को बेगूं से काटुंदा रोड़ की सीमा के पास तरमीम किया जाना आवश्यक है। इसकी जवाबी बहस में पेरोकार तहसीलदार सरकार ने जवाब प्रा0प0 अनुसार किया जाकर निवेदन इस प्रकार से किया है कि आवंटी खातेदार गिरधारी व रामुबाई गुर्जर को आवंटन हुई थी। उक्त आवंटन से विक्रय किये जाने तक आवंटियों का कब्जा मुख्य रोड़ के पास आराजी सं0 1361 में ही था। राजस्व नक्शे में जो तरमीम आराजी सं0 1361/1 की गई है वह गलत होकर कब्जे अनुसार आराजी सं0 1361 रकबा 0.2400 है0 बिलानाम सरकार में दुरूस्त किया जाना सही है।

उभय पक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुने जाने व दस्तावेजों का गहन अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी का प्रा0प0 स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0प0 अ0धा0 136 एलआरएक्ट का स्वीकार किया जाता है। मौजा काटुंदा में प्रार्थी की खातेदारी आराजी सं0 1361/1 रकबा 0.2400 है0 भूमि को बिलानाम सरकार घोषित करते हुए प्रार्थी के प्रतिकुल कब्जे काश्त की मौजा काटुंदा की आराजी सं0 1361 रकबा 0.2400 है0 भूमि प्रार्थी के कब्जे स्थान पर बेगूं से काटुंदा सीमा के पास संशोधन (तरमीम) किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 31.07.2023 को लिखा जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि :- 308 दि. 4.8.2023

1. तहसीलदार बेगूं को आदेश की प्रति पालनार्थ।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:53:40 IST
Reason: SelfAttested